		ल्स) का कार्यालय,वस्तु एवं सेवा करऔरकेन्द्रीय उत DMMISSIONER (APPEALS), GST &CENTRAL		
	MARKET द्वितीय त	तल,जी एस टी भवन / 2 <sup>nd</sup> Floor, GST Bl	havan	
		कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road	सत्यमेव र	
		<u>राजकोट / Rajkot – 360 001</u>		
L	Tele Fax No. 02	281 – 2477952/2441142Email: cexappealsrajk	cot@gmail.com	
रजिर	न्टर्ड डाक ए.डी.द्वारा :-			
क	अपील / फाइलसंख्या/ Appeal /File No.	मूल आदेश सं / O.I.O. No.	दिनांक/	
	V2/50/GDM/2019	01/Assít. Commr/2018	Date 20-02-2018	
ख	अपील आदेश संख्या(Order-In-Appeal No	ა.):		
	<u>KCH</u>	-EXCUS-000-APP-018-2020		
	आदेश का दिनांक /			
	Date of Order: 12.02.2020	0 जारी करने की तारीख / Date of issue:	12.02.2020	
	<b>श्रीगोपी नाथ</b> , आयुक्त (अपील्स), राजक	कोट दवारा पारित /		
	Passed by Shri. Gopi Nath, Co	-		
ग		सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/वस्तु एवंसेवाक	न्र,	
	राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपर Arising out of above mentioned OI	on issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Cor	mmissioner, Central Excise/ST	
	/ GST, Paikot / Jampagar / Gandhidham :			
घ	Rajkot / Jamnagar / Gandhidham : <b>अपोलकर्ता</b> &प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of the <b>Appellant</b> & Respondent :-			
	Bhatti Automobiles Private Limite	ted,Kotdi Road, Patwadi Gate, Bhuj, (Kutch),		
	इस आदेश(अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम Any person aggrieved by this Orde way.	म्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष . er-in-Appeal may file an appeal to the appropria	अपील दायर कर सकता है।/ ate authority in the followin;	
(A)	सीमा शुल्क ,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम ,1944 की धारा 35 के अंतगत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है ।/			
	Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 8 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-			
(i)	वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वे ब्लॉक नं 2, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए ।/			
	The special bench of Customs, Exc Delhi in all matters relating to class	cise & Service Tax Appellate Tribunal of West B sification and valuation.	Block No. 2, R.K. Puram, New	
(ii)	उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क,केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट)की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,द्वितीय तल, बहुमाली भवन असार्वा अहमदाबाद- ३८००१६को की जॉनी चाहिए ।/			
	To the West regional bench of Co Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmeda	Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribu abad-380016in case of appeals other than as me	unal (CESTAT) at, 2 <sup>nd</sup> Floor intioned in para- 1(a) above	
(iii)	किए गय प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज ो माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,0 अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक जाना चाहिए । संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंव आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ	नुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)नियमावली, 20 किया जाना चाहिए । इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, उ या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। 5 रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा क की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्याया थ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/	जहां उत्पाद शुल्क की माँग ,ब्याज की 0 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमश निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित जारी रेखांकित बैंक झुफ्ट दवारा किय ाधिकरण की शाखा स्थित है । स्थगन	
	The appeal to the Appellate Tribuna Central Excise (Appeal) Rules, 2 accompanied by a fee o dutydemand/interest/penalty/refur of crossed bank draft in favour of where the bench of any nominated Application made for grant of stay s	al shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / a 2001 and shall be accompanied against one of Rs. 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000 nd is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Asst. Registrar of branch of any nominated pu public sector bank of the place where the benc shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-	as prescribed under Rule 6 o which at least should be /- where amount o / Lac respectively in the form blic sector bank of the place h of the Tribunal is situated	
(B)	अपीलीय ज्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम,1994 की धारा 86(1) के अंतगंत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) व तहत निर्धारित प्रपत्र S.T5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग करे (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की माँग ,ब्याज की माँग और लगाया गर जुर्माना,रुपए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000 रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण व शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सावजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट दवारा किया जाना चाहिए । संबंधित झफ का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है । स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लि आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/			
1.23.477 (1.14) 4 17 (1.14) 5	The appeal under sub section (1) of in quadruplicate in Form S.T.5 as accompanied by a copy of the ord accompanied by a fees of Rs. 1000 Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- wh than five lakhs but not exceeding demanded & penalty levied is more Assistant Registrar of the bench of	f Section 86 of the Finance Act, 1994, to the App s prescribed under Rule 9(1) of the Service Tai ler appealed against (one of which shall be ce 0/- where the amount of service tax & interest de the amount of service tax & interest demand g Rs. Fifty Lakhs, Rs. 10,000/- where the amou e than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed f nominated Public Sector Bank of the place what ant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.50	pellate Tribunal Shall be filed x Rules, 1994, and Shall be rtified copy) and should be lemanded & penalty levied o ded & penalty levied is more unt of service tax & interes d bank draft in favour of the ure the banch of Terbucci	

(i) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सँहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी । /

सिलन करना हागा। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissionerauthorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal. सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (संस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम

- 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवूल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो।
  - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" मे निम्न शामिल है
  - धारा 11 डी के अंतर्गत रकम (i)
  - (ii) सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि
  - सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम (iii)

- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष

- बशते यह कि इस धारा के प्रावधान विसीय (स. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लाग नहीं होगे।/ For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores, Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include : (i) amount determined under Section 11 D; (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken; (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules - provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

## (C)

(ii)

भारत सरकार कोपूनरीक्षण आवेदन : Revision application to Government of India: इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलो में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गतअवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद माग, नई

account (1) of Section-35B ibid:

- यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में।/ In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse (i)
- भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India. (ii)
- यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty. (iii)
- सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के अगतान के लिए जो इयूटी ऊंडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (न. 2),1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पारित किए गए है।/ Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on of atter, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998. (iv)

उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील)नियमावली,2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए । उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के (v)

तौर पर TR-6 की प्रति संतरन की जानी चाहिए। / The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-BE of CPA 1004 where Main a Monte and a factoring the section 35-EE of ĈEA, 1944, under Major Head of Account.

- पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए । जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो (vi) तो रूपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए। The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.
- यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय नयाधिकरण को एक अपील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers variousnumbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each. (D)
- यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुस्त्यी-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act,1975, as amended. (E)
- 8777 B (F)
- सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982. **(**Ε.)
- (G)

उच्च अधीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्याएक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in. م نور در م 

....2....

F No.V2/50/GDM/2019

## ORDER-IN-APPEAL

M/s Bhatti Automobiles Pvt Ltd., Bhuj [hereinafter referred to as "appellant"] has filed appeal No. V2/50/GDM/2019 against Order-in-Original No. 1/AC/2018 dated 20.2.2018 [hereinafter referred to as "impugned order"] passed by the Asst. Commissioner, Central Goods and Service Tax Division, Bhuj [hereinafter referred to as "adjudicating authority"].

2. Briefly stated, the facts of the case are that Show Cause Notice No. V.ST/AR-GDM/ADC/139/14-15 dated 8.10.2014 was issued to the appellant for non payment of service tax. The adjudicating authority confirmed service tax demand of Rs. 5,02,300/- along with interest and imposed penalty vide the impugned order. Aggrieved, the appellant has filed the instant appeal.

3. The Appellant vide email dated 11.2.2020 informed that they had opted for "Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019 [for short-SVLDRS] for the issue under appeal and that the designated committee has accepted their application under SVLDRS and issued discharge certificate dated 30.12.2019 (SVLDRS-4) to the appellant in terms of provisions of Section 127 of the Finance Act, 2019 and requested to withdraw their appeal.

4. I find that as per provisions of Section 127 (6) of the Finance Act, 2019, in respect of a declaration filed under SVLDRS which is accepted by the designated committee and issued discharge certificate, the appeal before appellate authorities challenging the issue/tax dues for which settlement is sought under SVLDRS, will be deemed to have been withdrawn. The relevant provisions of Section 127 (6) of the Finance Act, 2019 is as under:

"(6) Where the declarate has filed an appeal or reference or a reply to the show cause notice against any order or notice giving rise to the tax dues, before the appellate forum, other than the Supreme Court or the High Court, then, notwithstanding anything contained in any other provisions of any law for the time being in force, such appeal or reference or reply shall be deemed to have been withdrawn. "

5. In view thereof, the appeal under consideration is to be considered as withdrawn. Accordingly, I dismiss the appeal as withdrawn.

12/2/2020

(GOPI NATH) Commissioner(Appeals)

Attested

(V.T.SHAH) Superintendent(Appeals)

## By R.P.A.D.

To, M/s Bhatti Automobiles Pvt Ltd Kotdi Road, Patwadi Gate, Bhuj, District Kutch.	सेवा में, मे॰ भद्दी ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, कोटडी रोड, पाटवडी गैट, भुज, जिल्ला कच्छ॰
--	---

प्रतिलिपि :-

- प्रधान मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीधाम आयुक्तालय, गांधीधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- अहायक आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, भुज मण्डल, गांधीधाम आयुक्तालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) गाई फ़ाइल। ...... |

